

## कार्यालय ज्ञाप

“उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में प्राविधानित ब्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 देहरादून, 05 जनवरी, 2018, के क्रम में वर्ष 2018 में स्थानान्तरण हेतु कृषि विभाग के कार्मिकों के लिये सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों का चिहनीकरण किया गया है। तत्क्रम में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र (वर्ष 2024-25) में भी विगत वर्ष में कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु किये गये सुगम/दुर्गम क्षेत्रों में परिवर्तन न होने के फलस्वरूप चिहनीकरण को यथावत रखा जाता है, जो कि विभागीय वेवसाइट [www.agriculture.uk.gov.in](http://www.agriculture.uk.gov.in) पर पूर्व से अपलोड किया गया है।

ह0/-  
(के0सी0पाठक)  
कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- कृ0नि0/ 104 /स्था0अनु0-1/वार्षिक स्था0अधि0/2024-25/दिनांक 05/04/2024  
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त कार्यालयाध्यक्ष कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
3. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
5. संयुक्त सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. विभागीय वेवसाइट पर अपलोड हेतु।
7. कार्यालय आदेश/गार्ड पत्रावली में संचय हेतु।

Signed by Khajan Chandra  
Pathak  
कृषि निदेशक  
Date: 05-04-2024 16:45:32  
उत्तराखण्ड